राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी– भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 76/2016 तारीख रजू 10.06.16

...लाल पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील गंगापुर सिटी।

––अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा ।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णयः– दिनांकः– 11.02.17

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा मिसल संख्या 182/16 में पारित निर्णय 11.02.16 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मीनापाडा के खसरा नम्बर 890 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म भूमि चरागाह पर सम्वत् 2072 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित व फसल नीलामी करने के साथ–साथ अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में रखा गया है। वकील अपीलान्ट उप0 एवं रेस्पोडेन्टस की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रोपर सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया और प्रोपर तामील भी नहीं करवाई गयी है तथा एक ही दिन में आलौच्य अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो न्याय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

8/A

के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 890 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मीना पाडा पर कोई कब्जा नहीं मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02. को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई हेतु दिनांक 11.02.16 का नोटिस जारी किया गया बावजूद तामील अपीलार्थी अतिक्रमी उक्त दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डर शीट से साबित है। अतिक्रमी द्वारा अदातल मातहत के मसक्ष अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त नहीं किया है। अतिक्रमीत भूमि चरागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग एव मवेशियो के विचरण करने एवं पेट भरने के काम आती है यदि उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल नहीं किया गया तो आम अतिक्रमी को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने को बढावा मिलेगा। अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई त्रृटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुँचे है कि अदालत मातहत द्वारा अदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामला में अपीलार्थी अतिक्रमी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया किन्तु अपीलार्थी अतिक्रमी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर अपना कब्जा नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेजात अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये, जहॉ तक पूर्ववर्ती अतिचारी हेतु सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे किये अतिचार के संबंध मे अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित अतिक्रमण की रिपोर्ट जिसमें पूराना अतिचार होना पाया है किन्तु साक्ष्य बतौर पश्चातवर्ती के संबंध में न तो अदालत मातहत की पत्रावली में कोई साक्ष्य किये जाने बाबत बेदखली रिपोर्ट या पूर्व में पारित किये आदेश की छायॉ प्रति संलग्न

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है। ऐसी अवस्था में सुदृढ अभिलेख तथा पश्चातवर्ती सबूतो के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। चुकि अपीलार्थी उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से करवाना चाहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बेदखली ,शास्ति व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है तथा नायब तहसीलदार तलावड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त सिविल कारावास के बिन्दु पर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्याम मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर